संख्या-6/2017/218/84-1-17-907विविध/2012

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 30 मार्च,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मजदूरी, भवन किराया के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 463/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2016-17, दिनॉक 09 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में अनुबन्ध के आधार पर कार्य कर रहे कार्मिकों की मजदूरी, नगर निगम लखनऊ के गृह कर के भुगतान एवं भारत सरकार टकसाल मुम्बई के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-महंगाई भत्ते में उपलब्ध धनराशि में से मानक मद 03-महंगाई भत्ते में हो रही बचत रू0 5,29,64,000/- में से पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-02-मजदूरी मद में रू0 5,00,000/- एवं लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-17-भवन किराया मद में रू0 21,14,000/- कुल रू0 26,14,000/- (रूपये छब्बीस लाख चौदह हजार मात्र) संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

3- स्वीकृत के संबंध में समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदउपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा तथा धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-7/160/दस-2017 दिनॉक 28 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-6/2017/218(1)/84-1-17 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।